<u>फर्द अहकाम</u>

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

राजेन्द्र बनाम [illegible]

केस संख्या : 2/24

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/4/25	पत्रावली आज दिनांक 9/4/25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड० बार एसो० जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/4/25 को पेश हो।	
	24/4/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप०। इन्तजार कुरैनात रिपोर्ट हेतु दिनांक 7/5/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
	7/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप०। तहसीलदार जालसू से रिपोर्ट अप्राप्त है अतः आज ही तहसीलदार जालसू को पुनः तहरीर जारी हो पत्रावली वास्ते कुरैनात हेतु दिनांक 16/5/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	तहरीर जारी 464 07.05.2025
	16/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप०। तहसीलदार जालसू से कुरैनात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वादी की कुरैनात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। कोई आपत्ति नहीं की अतः तहसीलदार से प्राप्त कुरैनात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	कुरैनात प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested

**न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.**

नियमित वाद संख्या 2/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक : 04.01.2024

राजसिंह बुनकर पुत्र कालूराम जाति बलाई, निवासी ग्राम सान्दरसर, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र रामदेव, जाति बलाई, निवासी – ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 16.05.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी वाके ग्राम दुर्गा का बास, पटवार हल्का दुर्गा का वास, भू–अभिलेख निरीक्षक जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित खसरा नंबर 180 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 183 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.24 हैक्टेयर स्थित है, जो इस वाद पत्र में विवादित आराजी है। वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादी की सहखातेदारी की भूमि है। जिसका उभयपक्षो ने आपसी समझ से बाहमी बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार वादी के हक में खसरा संख्या 183 सम्पूर्ण व 180, 182 आंशिक रूप से जिस संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित किया गया है तथा प्रतिवादी के हक में खसरा संख्या 181 सम्पूर्ण व 180, 182 आंशिक रखे गये है। उसी अनुसार उभयपक्ष अपने–अपने भाग पर साधिकार काबिज काश्त चले आ रहे है। हाल ही दिनांक 27.12.2023 को प्रतिवादी दीनदयाल ने वादग्रस्त आराजी के विधिक विभाजन से पूर्व ही मिन वादी के हक में रखे गये खसरा संख्या 183 के विशिष्ठ भू–भाग पर निर्माण करने के उद्देश्य से खसरा संख्या 182 व 183 के सामने स्थित रास्ते पर निर्माण सामग्री डलवाने लगा, जिसको वादी द्वारा मना किये जाने पर प्रतिवादी ने ऐलानियाँ धमकी दी की " वादग्रस्त आराजी के विशिष्ठ भू–भाग का बाहमी बंटवारे के विपरीत बेचान कर अजनेबी क्रेता को निर्माण करवाऊंगा। " प्रतिवादी द्वारा दिनांक 27.12.2023 को दी गई उपरोक्त धमकी से वाद कारण उत्पन्न हुआ तथा वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादी को हक व अधिकार हासिल है की वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 18:17:16 IST
Reason: SelfAttested

बाबत् विभाजन का इस प्रकार माननीय न्यायालय श्रीमान से डिक्री करवाये की वादग्रस्त आराजी ग्राम दुर्गाकाबास, तहसील जालसू, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा 180 रकबा 0. 50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता–04 कुल रकबा 1.24 हैक्टेयर स्थित है का बाहमी बंटवारे के अनुसार (जिसमें वादी का कब्जा संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।) खसरा संख्या 183 सम्पूर्ण व 182, 180 आंशिक वादी के हक में रखे जाकर विधिक विभाजन करवाये। वादी को हक व अधिकार हासिल है की वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार माननीय न्यायालय श्रीमान से डिक्री करवाये की वादग्रस्त आराजी का विधिक विभाजन से पूर्व बेचान हस्तांतरण नही करे, कोई खाम या पुख्ता निर्माण नही करे, उक्त कृत्य ना तो प्रतिवादी स्वयं करे ना ही अपने एजेंण्ट, सर्वेन्ट, वर्कमेन से करताये, जौका व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 कई तारीखों से अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 06.06.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद बंटवारे से संबंधित है अतः प्राथमिक डिक्री की जावें। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी वाद बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार जालसू जिला जयपुर को आदेशित किया एवं राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम दुर्गा का बास, पटवार हल्का दुर्गा का वास, भू–अभिलेख निरीक्षक जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित खसरा नंबर 180 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 183 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.24 हैक्टेयर भूमि का जमाबंदी में अंकित हिस्सेनुसार तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाये। तहसीलदार जालसू से कुर्रेजात प्राप्त होने पर उभयपक्ष को बहस व आपत्ति हेतु अवसर दिया गया।

Signature Not Verified ... एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जालसू द्वारा प्रस्तुत ...ात ...ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष विभाजन प्र... में हिस्सा दिया ... है तथा पक्षकारान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रे... रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

प्रकरण संख्या – 2/2024
बउनवानी – राजसिंह बनाम दीनदयाल वगै0
निर्णय दिनांक :–16.05.2025

राजसिंह बुनकर पुत्र कालूराम जाति बलाई, सा. सान्दसर, तहसील चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 183 रकबा 0.20 हैक्टेयर, ख़सरा नंबर 182/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

2. दीनदयाल पुत्र रामदेव जाति बलाई, सा. रामपुरा डाबडी के हिस्से खसरा नंबर 181 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180/1 रकबा 0.40 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 2/2024
बउनवानी – राजसिंह बनाम दीनदयाल वगै0
निर्णय दिनांक :–16.05.2025

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 2/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक : 04.01.2024

राजसिंह बुनकर पुत्र कालूराम जाति बलाई, निवासी ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र रामदेव, जाति बलाई, निवासी – ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. राजसिंह बुनकर पुत्र कालूराम जाति बलाई, सा. सान्दसर, तहसील चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 183 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. दीनदयाल पुत्र रामदेव जाति बलाई, सा. रामपुरा डाबडी के हिस्से खसरा नंबर 181 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180/1 रकबा 0.40 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.05.2025 को जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 16:17:16 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत———
ओहदा———

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 2/2024
बउनवानी – राजसिंह बनाम दीनदयाल वगै0
निर्णय दिनांक :–16.05.2025

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	4 रूपये	
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

दिनांक : 20/05/2025

क्रमांक/कोर्ट/2025/559

तहसीलदार,
तहसील, जालसू,
जयपुर।

विषयः—न्यायालय के प्रकरण संख्या 2/2024 राजसिंह बनाम दीनदयाल वगै0 में निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2025 की पालना में पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद संख्या 2/2024 राजसिंह बनाम दीनदयाल वगै0 में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो आप नियमानुसार निर्णय एवं डिक्री की पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशीघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः—1. प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2025
2. कुर्रेजात मय नक्शा।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested

phone no. : 0141-2209013 (O) Email: acm.amer.jpr@gmail.com